

क्रमांक:-एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ML-2/3

जयपुर,दिनांक:- 15/01/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्रस	मेरिट/रोल नं	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	3097 (2013)	श्रीमती/सुश्री कविता लेघा	कार्यालय उप-निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर	RPSC-Asstt. Prof.(College education) 2020
2	2533 (2013)	श्री जितेन्द्र भाटी	कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	RPSC-Asstt. Prof.(College education) 2020
3	549 (2013)	श्री जितेन्द्र सुथार	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोलायत, जिला-बीकानेर।	(i) RPSC-Asstt. Prof.(College education) 2020 (ii) UGC NET-2021 (iii) RPSC-Lecturer (Tech. Edu.)
4	247555 (2018)	श्री जिम्मी वर्मा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	(i) ICMR-Assistant (Group-B Level-6) (ii) IBPS- Specialist Officers-2020
5	299119 (2018)	श्री गिरांज बोलिया	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-चाकसू, जयपुर।	EPFO-Social Security Assistant Skill Test
6	297555 (2018)	श्री जितेश ग्रोवर	भामाशाह स्टेट डाटा सेन्टर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।	RRB-NTPC-2019

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी(यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

19/1
12/01/21
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)